चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय व क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा व उनकी टीम ने हनुमान मन्दिर के पास ग्राम मोहनी से 02 आरोपी अभियुक्तों को चोरी की गयी 07 अदद बैटरी व घटना में प्रयुक्त अल्टो कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-</u>

1.पुष्पराज पुत्र दिनेश कुमार निवासी मोहनपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र 22 वर्ष

2.सुधाकर सिंह पुत्र स्व0 मनोज कुमार सिंह निवासी मोहनपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र 22 वर्ष

<u>बरामदगी-</u>

07 अदद बैटरी

चोरी में प्रयुक्त अल्टो कार UP 96 E 9890

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-</u>

हनुमान मन्दिर के पास ग्राम मोहनी, दि0 20.06.2026 समय 06.00 बजे

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनाँक 20.06.2026 को वादी अवसेरी पुत्र झुरू साह निवासी खण्डेहा थाना मऊ में सूचना दी गयी कि अज्ञात लोगो द्वारा वादी के दरवाजे पर खडी ई-रिक्सा से 05 अदद बैटरी चोरी कर ले जाना। इस सूचना के आधार पर थाना मऊ में मु0अ0स0 208/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। चौकी प्रभारी खण्डेहा एवं उनकी टीम ने मुखविर की सूचना पर हनुमान मन्दिर ग्राम मोहनी के पास समय करीब 05.33 बजे एक काले रंग की अल्टो कार UP 96 E 9890 को रोककर चेक किया गया तो उसमें 02 व्यक्ति सवार थे और गाड़ी में 07 अदद बैटरी भी रखी थी जो संदिग्ध प्रतीत हो रही थी । दोनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो 1.पुष्पराज पुत्र दिनेश कुमार निवासी मोहनपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र 22 वर्ष 2.सुधाकर सिंह पुत्र स्व0 मनोज कुमार सिंह निवासी मोहनपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट उम्र 22 वर्ष बताया गया । गाड़ी में रखे बैटरियों के बारे में पूछा गया तो दोनों व्यक्तियों ने एक स्वर में बताया कि हम दोनों लोगो ने 18/19.06.2026 की रात खण्डेहा गांव में खड़े ट्रैक्टर से एक बैटरी चोरी की तथा खण्डेहा में छोटू के टाल के पास खड़े ट्रैक्टर से एक बैटरी चोरी की और चकवा गांव में खड़े एक ट्रैक्टर से एक बैटरी चोरी की थी। आरोपी व्यक्तियों को दण्डनीय अपराध से बोध कराते हुए समय 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपर्युक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-</u>

1.उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी खण्डेहा

2.मुख्य आरक्षी पवन कुमार तिवारी

3.आरक्षी मनोज कुमार

4.रि0आ0 विनीत यादव

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह व उनकी टीम ने रसिन मोड़ से करीब 100 मीटर अन्दर की ओर से अभियुक्त को चोरी की 03 रास बकरियों व घटना में प्रयुक्त होण्डा कार के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>अभियुक्तों का नाम पता का विवरण-</u>

1.मोहम्मद नूह पुत्र अहमद अली निवासी गढ़ी बाजार थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी

बरामदगी-

03 राश बकरियां

चोरी में प्रयुक्त होण्डा कार UP 72 BR 7218

गिरफ्तारी का स्थान/दिनाँक-

रसिन मोड़ से करीब 100 मीटर अन्दर, दि0 19.06.2026 समय 22.10 बजे

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 19.06.2026 को वादी शारदा प्रसाद पुत्र सन्ता यादव निवासी चकला पुरवा मजरा रसिन थाना भरतकूप ने सूचना दी कि अज्ञात चोरो द्वारा वादी की 03 बकरी व 02 बकरी के बच्चे चोरी कर लेना । इस सूचना के आधार पर थाना भरतकूप में मु0अ0स0 101/26 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह एवं उनकी टीम को मुखविर ने सूचना दिया कि रसिन मोड़ पर एक चार पहिया गाड़ी नं0 UP 72 BR 7218 में संदिग्ध व्यक्ति कुछ बकरियों को बाधकर ले जा रहे है। इस सूचना पर विश्वास करके बताये हुए स्थान पर पहुंचे की कार तेजी से चलाकर भागने लगे कि पुलिस वाले गाड़ी का पीछा करके रसिन मोड़ से करीब 100 मीटर अन्दर की ओर गाड़ी को रोक लिया । संदिग्ध व्यक्ति गाड़ी से निकलकर भागने लगे । भाग रहे व्यक्ति मोहम्मद नूह पुत्र अहमद अली निवासी गढ़ी बाजार थाना पश्चिम शरीरा जनपद कौशाम्बी को घेर घार कर पकड़ लिया गया। पकड़ गये व्यक्ति ने भाए हुए व्यक्तियों के बारे पूछा गया तो 1.कमल गुप्ता पुत्र बाबू गुप्ता निवासी सकेती थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर 2.शेर मोहम्मद पुत्र तुफैल निवासी ग्राम सुमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर 3.मेराज पुत्र अज्ञात निवासी सिमौर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर का नाम बताया । अभियुक्त की तलाशी ली गयी तो अभियुक्त के कब्जे से 20 रूपये तथा गाड़ी होण्डा कार UP 72 BR 7218 की तलाशी ली गयी तो गाड़ी के पीछे की सीट पर 01 बकरी व 02 बच्चे जिसका रंग काला/सफेद मुह व पैर बधे हुए बरामद हुआ। अभियुक्त को अपराध के बारे में बताते हुए समय 22.10 बजे गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपर्युक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक सिंह

2.आरक्षी नरेन्द्र सिंह

3.आरक्षी शक्ति सिंह